भारत सरकार

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न संख्या 132

31 जुलाई, 2025 को उत्तर देने के लिए

अनुसंधान एवं विकास व्यय और अनुसंधान अवसंरचना संबंधी आँकड़े

*132 श्री बी. पार्थसारधी रेड्डीः

क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान अनुसंधान एवं विकास पर सकल घरेलू उत्पाद कितने प्रतिशत व्यय किया गया है, वर्ष-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान अनुदान या अध्येतावृत्ति संवितरण में देरी का सामना करने वाले अनुसंधान अध्येताओं की मंत्रालय-वार संख्या कितनी है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकारी कार्यक्रमों के तहत कितने विदेशी वैज्ञानिकों या वैज्ञानिक सहयोगों के लिए सहायता प्रदान की गई है; और

(घ) वर्ष 2022 से अब तक कितनी संस्थाओं में अनुसंधान अवसंरचना का उन्नयन किया गया है, तत्संबंधी राज्य-वार और योजना-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(डॉ. जितेंद्र सिंह)

(क) से (घ): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

"अनुसंधान एवं विकास व्यय और अनुसंधान अवसंरचना संबंधी आंकड़े" पर दिनांक 31.07.2025 को राज्य सभा में पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 132 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा प्रकाशित नवीनतम अनुसंधान एवं विकास आंकड़ा 2022-23 के अनुसार, विगत तीन वर्षों अर्थात् 2018-19, 2019-20 और 2020-21 के दौरान अनुसंधान एवं विकास पर व्यय किए गए सकल घरेलू उत्पाद का प्रतिशत क्रमशः 0.66%, 0.66% और 0.64% है। राज्यवार अनुसंधान एवं विकास व्यय अनुलग्नक I में दिया गया है।

(ख) निधियों को एक स्थान पर एकत्रण से बचने के लिए, सरकार ने केंद्रीय नोडल एजेंसी (सीएनए), हाइब्रिड ट्रेजरी सिंगल अकाउंट (हाइब्रिड टीएसए) जैसे नवीन निधि प्रवाह तंत्र शुरू किए हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान इन परिवर्तनों के कारण अध्येतावृत्ति संवितरण में कुछ कठिनाइयाँ आई हैं। तथापि, सरकार ने अग्रिम अध्येतावृत्ति जारी करना, प्रश्नों का समाधान करने के लिए हेल्पलाइन डेस्क की स्थापना करना, हितधारकों को नई प्रणाली संबंधी प्रशिक्षण देना आदि जैसे त्वरित उपायों के माध्यम से इन चुनौतियों का समाधान किया है। इसके अलावा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) ने एक विशेष पहल कर वर्तमान शोधार्थियों के संस्थानों को सुविधा प्रदान करने के लिए तीन महीने की अग्रिम अध्येतावृत्ति (जनवरी-मार्च 2025 तक) जारी की। नई व्यवस्था के पूरी तरह से चालू होने के साथ, संवितरण प्रक्रिया सुव्यवस्थित हो गई है और अध्येतावृत्ति समय पर जारी की जा रही हैं।

(ग) पिछले तीन वर्षों (2022-2023, 2023-24 और 2024-2025) के दौरान, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, जैव प्रौद्योगिकी विभाग, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय और उच्च शिक्षा विभाग के विभिन्न कार्यक्रमों के तहत 2000 से अधिक विदेशी सहयोगों के लिए सहायता दी गई है।

(घ) संस्थानों जहां वर्ष 2022 से अब तक अनुसंधान अवसंरचना को उन्नत किया गया है, की राज्यवार और योजनावार संख्या अनुलग्नक-II में दी गई है।

राज्य सरकारों द्वारा अनुसंधान और विकास पर व्यय

(रूपये करोड़ में)

क्र. सं.	राज्य	अनुसंधान और विकास व्यय		
		2018-19	**2019-20**	**2020-21**
1	आंध्र प्रदेश	502.4	469.29	501.59
2	असम	299.37	390.59	355.45
3	बिहार	433.14	633.15	379.32
4	छतीसगढ	177.24	200.73	227.02
5	दिल्ली	64.94	57.61	69.75
6	गुजरात	876.32	934.55	922.63
7	हरियाणा	136.81	153.43	133.61
8	हिमाचल प्रदेश	130.29	133.34	116.45
9	जम्मू और कश्मीर	317.09	389.11	394.19
10	झारखंड	117.05	84.48	89.76
11	कर्नाटक	447.41	479.78	394.42
12	केरल	459.1	511.52	492.26
13	मध्य प्रदेश	278.77	270.61	262.57
14	महाराष्ट्र	603.7	595.86	663.42
15	मणिपुर	29.9	10.91	13.58
16	मेघालय	7.53	7.1	7.47
17	ओडिशा	192.89	233.47	269.24
18	पंजाब	625.71	635.58	697.02
19	राजस्थान	234.87	238.63	242.81
20	तमिलनाडु	513.86	637.75	609.72
21	तेलंगाना	361.37	396.94	385.03
22	उत्तर प्रदेश	973.99	830.27	1002.34
23	उत्तराखंड	189.39	200.09	185.66
24	पश्चिम बंगाल	56.04	59.98	61.05
	कुल	**8029.21**	**8554.79**	**8476.35**

स्रोत: अनुसंधान और विकास आंकड़ा, 2022-23, एनएसटीएमआईएस, डीएसटी, भारत सरकार।

टिप्पणी:

1. अनुसंधान एवं विकास व्यय के आंकड़ों में राज्य कृषि विश्वविद्यालयों और अन्य राज्य विभागों/संगठनों का अनुसंधान एवं विकास व्यय शामिल है।
2. उपर्युक्त के अतिरिक्त, अनुसंधान एवं विकास व्यय उद्योग, उच्च शिक्षा और केंद्रीय क्षेत्र अनुसंधान एवं विकास संस्थानों द्वारा भी किया जाता है।
3. जिन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने अनुसंधान एवं विकास पर कोई व्यय नहीं किया है, उन्हें दर्शाया नहीं गया है।

अनुसंधान संस्थान, जहॉ वर्ष 2022 से अब तक अनुसंधान अवसंरचना को सहायता दी गई है, की राज्यवार एवं योजनावार संख्या

राज्य /संघ राज्य क्षेत्र	फिस्ट	सैफ	पर्स	साथी	सुप्रीम	पीजीटीपी	आरआरएसएफपी
आंध्र प्रदेश	4	--	2	--	--	--	1
अरुणाचल प्रदेश	1	--	--	--	--	--	--
असम	6	1	2	--	--	1	1
बिहार	3	1	--	--	--	1	--
छत्तीसगढ	4	--	1	--	--	--	--
गोवा	1	--	1	--	--	--	1
गुजरात	8	--	1	--	--	--	--
हरियाणा	3	--	1	--	--	--	--
हिमाचल प्रदेश	4	--	1	--	--	1	--
झारखंड	5	--	1	--	--	--	--
कर्नाटक	6	2	--	--	--	--	5
केरल	13	1	1	--	--	1	1
मध्य प्रदेश	2	--	--	--	--	1	1
महाराष्ट्र	14	2	1	--	--	2	3
मणिपुर	1	--	--	--	--	--	--
मेघालय	--	1	--	--	--	--	--
मिजोरम	1	--	--	--	--	--	
नागालैंड	1	--	--	--	--	--	--
ओडिशा	4	--	1	--	--	--	1
पंजाब	9	--	2	--	--	--	1
राजस्थान	7	--	1	1	--	--	--
तमिलनाडु	30	1	1	--	2	2	1
तेलंगाना	7	--	1	1	--	--	1
त्रिपुरा	1	--	--	--	--	--	--
उत्तर प्रदेश	9	1	--	1	3	1	2
उत्तराखंड	3	--	1	--	--	1	--
पश्चिम बंगाल	8	--	--	1	--	3	
चंडीगढ़	3	1	--	--	--	--	--
दिल्ली	2	--	1	1	--	4	1
जम्मू और कश्मीर	5	--	3	--	--	2	2
पुडुचेरी	2	--	--	--	--	--	--
लद्दाख	--	--	1	--	--	--	--

टिप्पणी:

1. फिस्ट - विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी अवसंरचना सुधार निधि, डीएसटी
2. सैफ - परिष्कृत विश्लेषणात्मक उपकरण सुविधा, डीएसटी
3. पर्स - विश्वविद्यालय अनुसंधान और वैज्ञानिक उत्कृष्टता संवर्धन, डीएसटी
4. साथी - परिष्कृत विश्लेषणात्मक और तकनीकी सहायता संस्थान, डीएसटी
5. सुप्रीम - उपकरण उन्नयन, निवारक मरम्मत और अनुरक्षण सहायता, डीएसटी
6. पीजीटीपी - पीजी शिक्षण कार्यक्रम, डीबीटी
7. आरआरएसएफपी - अनुसंधान संसाधन सेवा सुविधा मंच, डीबीटी
